



2026:AHC-LKO:19235

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय  
लखनऊ**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 1912 वर्ष 2026**

इरफ़ान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और 4 अन्य

.....विपक्षी (गण)

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता   | : अमित कुमार अवस्थी, दीपक कुमार |
| विपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता | : शासकीय अधिवक्ता               |

**न्यायालय संख्या - 13****माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. आज न्यायालय में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आनंद कुमार शुक्ला द्वारा दायर संक्षिप्त जवाबी हलफनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 14/2026 अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बी.एन.एस. और धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत, पुलिस थाना- पडुआ, जिला- लखीमपुर खीरी में ज़मानत की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. इस प्रार्थना-पत्र पर ज़ोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 01.02.2025 से जेल में बंद है।
5. आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता (जिसकी जन्मतिथि, स्कूल अभिलेख के अनुसार, 09.04.2008 है) 05.01.2026 को सूचनाकर्ता (पीड़िता की माँ) का घर छोड़कर आवेदक के साथ चली गई थी और उसने आवेदक के साथ विवाह भी कर लिया था; तथा एफ.आई.आर. दर्ज होने की तारीख को, पीड़िता आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी।
6. आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि पीड़िता का आवेदक के साथ प्रेम-संबंध था, इसलिए दोनों मुंबई गए और वहाँ 5 दिनों तक साथ रहे; उन्होंने वहाँ विवाह भी कर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

लिया और उसके बाद वे हापुड़ पहुँचे, जहाँ वे पति-पत्नी के रूप में 20 दिनों तक रहे। एफ.आई.आर. दर्ज होने की जानकारी मिलते ही, पीड़िता और आवेदक अपने मूल स्थान पर लौट आए। ये सभी तथ्य पीड़िता के उन बयानों से स्पष्ट हैं जो धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए हैं; इन बयानों की प्रतियाँ प्रपत्र पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 20 और 37 पर क्रमशः संलग्न हैं।

7. आगे यह भी कहा गया है कि विचाराधीन एफ.आई.आर., नाराज़गी के चलते, शिकायतकर्ता (पीड़िता की माँ) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने आवेदक और आवेदक के परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाए थे।

8. आज न्यायालय में शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर, यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों ने अब आवेदक और पीड़िता के बीच के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है।

9. आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता की जन्मतिथि, जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा कर रहा है, वह विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा पेश किए जाने वाले सबूतों पर निर्भर है; और ज़मानत की इस अवस्था पर, उम्र निर्धारण से जुड़े मुद्दे पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों का लाभ जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिरद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित (1988) सप् एससीसी 604 में प्रकाशित, पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996) 2 एससीसी 384 में प्रकाशित, सुहानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दिनांक 26.04.2018 को सिविल अपील संख्या 4532 वर्ष 2018 में सुनाया गया, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8001 वर्ष 2018 से उत्पन्न और मानक चंद उर्फ मणि बनाम हरियाणा राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1397 में प्रकाशित हुआ** मामलों में दिए गए निर्णय शामिल हैं, आवेदक के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

10. आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता के उन बयानों पर विचार करते हुए जो बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज किए गए हैं, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने अब आवेदक और पीड़िता के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, तथा यह भी कि पीड़िता ने स्वयं के कथनानुसार, आवेदक के साथ मुंबई में विवाह संपन्न किया था आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत पर रिहा होने की स्थिति में, आवेदक ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा, और अभियोजन पक्ष के गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

11. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया; हालाँकि, वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के वकीलों की दलीलों, एफ.आई.आर. पर उचित विचार करने के बाद, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और वह 01.02.2026 से जेल में है; साथ ही इस मामले में आवेदक के दोषी ठहराए जाने की संभावनाओं और इस

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तथ्य को भी देखते हुए कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने अब पीड़ित और आवेदक के बीच के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान आवेदक को जमानत दी जानी चाहिए। तदनुसार, इसे स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक- **इरफ़ान** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतें (जिनमें से एक परिवार का सदस्य/निकट संबंधी हो) प्रत्येक उसी राशि की संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए: -

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष तय की गई प्रत्येक तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (vii) आवेदक सबूतों के लिए तय की गई तारीखों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (viii) आवेदक धारा 313 सीआर.पी.सी.के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तय की गई तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

15. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17 मार्च, 2026

अरुण/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"